विचार बिन्दु

त्याग से पाप का मूलधन चुकता है और दान से ब्याज। -विनोबा

संसद व सुप्रीम कोर्ट के आदेश से अनुच्छेद 370 हटाया गया है, उसे वापस लागू करने के लिये हंगामा करना संविधान का अपमान है

भारत का संविधान अन्य देशों के संविधानों से अच्छा है, बेहतर है, पठनीय है और अदभुत है। भारत राज्यों का संघ है। संघ उन राज्यों और राज्य क्षेत्र से मिलकर बना है, जिनका विवरण संविधान की पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट है। भारत के राज्य क्षेत्र में राज्यों से राज्य क्षेत्र व पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट संघ राज्य क्षेत्र और ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किये जावें, समाविष्ट होंगे। जम्मू और कश्मीर को संविधान में 15वें राज्य का दर्जा प्राप्त है।

जम्मू-कश्मीर राज्य का अर्थ है वह भू-भाग जो विलय से पूर्व जम्मू-कश्मीर था, जो विलय पत्र से भारत का शामिल हुआ। जम्मू-कश्मीर विलय के समय ही से भारत का अभिन्न अंग है। जम्मू-कश्मीर का विधान स्पष्ट रूप से धारा 3 के अन्तर्गत घोषित करता है कि जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। इसके प्रियम्बल में भी जम्मू-कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग माना है। जम्मू-कश्मीर के महाराजा ने भारतीय संविधान के आदेश दिनांक 26.10.1947 से स्वीकार किया है।

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि जम्मू-कश्मीर राज्य पर भारतीय संविधान के प्रावधान लागू है और संसद को केन्द्र की सूची व समवर्ती सूची के विषय के कानून बनाने के अधिकार प्राप्त हैं और राज्य की लिस्ट के विषय पर जम्मू-कश्मीर की असेम्बली कानून बनाकर अपने राज्य की आन्तरिक व्यवस्था कर सकती है।

संविधान के भाग 21 में अस्थायी, संक्रमण कालीन और विशेष उपबंध के प्रावधान हैं, उनमें अनुच्छेद 370 भी एक प्रावधान है। अनुच्छेद 370 की उपादेयता समाप्त हो चुकी है वह स्वयं ही प्राणहीन हो चुका है और इस अनुच्छेद को भारत की संसद समाप्त कर चुकी है और सुप्रीम कोर्ट ने अपेन निर्णय से इसे संविधान से संवैधानिक प्रक्रिया से हटा दिया है।

अनुच्छेद 35ए, संविधान का कभी भाग नहीं रहा। भारत सरकार द्वारा संविधान जो जारी किया गया है, उसमें इसका उल्लेख भी नहीं है। इसे राष्ट्रपति के आदेश (Order) से लागू किया था अत: यह संविधान का भाग नहीं है। अवैध है।

वर्तमान में जम्मू-कश्मीर में चुनी हुई सरकार है। विधायकों ने चुनकर मंत्रीमण्डल बनाया है। नवम्बर 24 के प्रथम सप्ताह से विधानसभा की कार्यवाही हुई है जिसमें केवल हंगामा हुआ है, मारपीट हुई है पोस्टरों का प्रदर्शन और उन्हें फाडे जाने के शर्मनाक सीन देखे गये हैं। चुने हुये विधायकों को मार्शल से असेम्बली से घसीटकर निकाला गया है। असेम्बली में सरकार नेशनल कॉन्फ्रेंस व कांग्रेस की है और विपक्ष की पार्टियों में भाजपा बडी पार्टी है। विधायकों का चुनाव संविधान और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के अनुसार हुआ है और सभी असेम्बली के सदस्यों ने मुख्यमंत्री व अन्य मंत्रियों ने संविधान द्वारा निर्धारित शपथ ग्रहण की है और घोषित किया है कि वे ''संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखेंगे ......कर्त्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करेंगे और संविधान और विधियों की मर्यादा बनाये रखेंगे।'' राज्य के वे लोग जो राज्य की सरकार चला रहे हैं वे सब शपथ पर झूठ बोलने के दोषी हैं।

ऐसा कहा गया है कि ''विधायक इंजीनियर राशिद के भाई खुर्शीद अहमद शेख ने सदन में आर्टिकल 370 का बैनर दिखाया, जिसमें इसकी बहाली की मांग थी। इसका भाजपा पार्टी के विधायकों ने विरोध किया। बैनर छीन लिया। विधायकों में मारपीट शुरू हो गई, गाली-गलोच पर उत्तर आये, बैनर छीनकर फाड भी दिया। दोनों पक्ष हिंसा पर उतर आये। गाली गलोच शालीनता को चुनौती दे रहे थे। असभ्य लोग भी ऐसा शायद नहीं कर सकते। राष्ट्रदूत अखबार के दिनांक 8 नवम्बर 2024 के अंक में इस घटना का वर्णन इस प्रकार किया है, ''बीजेपी नेता रविन्द्र रैना ने कहा कांग्रेस पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस मिलकर जम्मू-कश्मीर में बनाई है, सरकार बनाते ही उन्होंने देशद्रोही एजेण्डों पर काम करना शुरू कर दिया है। दोनों पार्टियों ने जिस प्रकार चोरी-छिपे विधानसभा में पेश किया है और तुरन्त बिना किसी चर्चा के पास करके विधानसभा की कार्यवाही समाप्त कर दी। यह दिखाता है कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार जम्मू-कश्मीर के अन्दर पाकिस्तान के एजेण्डे को आगे बढ़ाने की साजिश कर रही है।''

भाजपा के प्रदेश कार्यालय में हुई प्रेस वार्ता में मंत्री राजवर्धन राठौड ने जम्मू-कश्मीर विधानसभा में अनुच्छेद 370 बहाली को लेकर इंडी अलायन्स और कांग्रेस पर सवाल उठाये हैं। राठौड ने कांग्रेसी नेताओं को भारत का विभाजन करने वाला और अलगाव वादी विचार धारा को बढ़ावा देने वाला कहा है। राजवर्धन सिंह ने कांग्रेस को चुनौती देते हुये कहा है कि वे क्यों नहीं देश की जनता के सामने यह स्पष्ट कर दें कि वे अनुच्छेद 370 को हटाने के पक्ष में है अथवा बहाल करने के पक्ष में हैं?

राज्य की असेम्बली में इस प्रसंग को लेकर विधानसभा की वैल में धक्का मुक्की हो रही है। दिनांक 08.11.2024 को अवामी इत्तेहाद पार्टी के विधायक खुर्शीद अहमद शेख ने 370 की बहाली से संबंधित पोस्टर लहराने का प्रयत्न किया। विपक्ष ने उसे रोका। धक्का-मुक्की हुई। इस पर मार्शल खुर्शीद को घसीटकर ले गये। स्थिति अराजकता से भर गई और अध्यक्ष अब्दुल रहीम ने निर्देश दिया कि भाजपा विधायकों को बाहर निकाल दो 11 विधायकों को घसीट कर बाहर निकाला। शेष विधायक भी वाक आउट कर बाहर चले गये। बाहर वे धरने पर बैठ गये।

विधानसभा में अनुच्छेद 370 को पुनः संविधान में स्थापित करने का प्रस्ताव लाकर पास कराने का कार्य विधानसभा का नहीं है। विधानसभा ने इस प्रकार अपनी शक्ति (अधिकार) का गलत प्रयोग किया है। विधानसभा में हंगामा हुआ, गाली गलोच हुई, असभ्य व्यवहार किया गया। विधायकों को हाउस के बाहर घसीट कर बाहर निकालना वह भी बिना कारण बताओ नोटिस दिये तथा बिना सुनवाई किये, नैसर्गिक/प्राकृतिक न्याय के प्रथम सिद्धान्त के विरूद्ध था।

कहा जाता है राज्य की सरकार अलगावादियों व आतंकवादियों को संरक्षण दे रही है। जहां राज्य के विकास व गरीबी समाप्त करने व रोजगार देने के उपाय तलाश किया जाना था वहां विधानसभा का समय उपरोक्त देश विरोधी गतिविधियों में जा रहा है।

ध्यान रहे भारतीय संसद ने दिनांक 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 को संवैधानिक प्रक्रिया से समाप्त किया था और राष्ट्रपति ने स्वीकृत किया था तथा देश की सर्वोच्च कोर्ट ने अपने निर्णय दिनांक 11.12.2023 से इसे सही माना उसे पुन: जीवन नहीं दिया जा सकता। इसे पुन: सीपित करना संविधान में संशोधन करना है जो अनुच्छेद 368 की जटिल प्रक्रिया के अनुसार नहीं हो सकता। सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ का निर्णय है जिसे कोई नहीं पलट सकता। संबंधित रिट याचिकाओं (PIL) में फारूख अब्दुल्ला भी एक पक्षकार रहे हैं। अत: निर्णय जम्मू-कश्मीर की जनता पर यों भी बाध्यकारी है। अनुच्छेद 370 हटाने के बाद आतंकवादी घटनाओं में 70: की कमी आई है। कश्मीर घूमने वालों की संख्या में काफी बढ़ोत्तरी हुई है। पत्थर मारने की घटनायें बंद हो गई हैं। कश्मीर का क्षेत्र शांति की ओर बढ़ रहा है। कानूनी दृष्टि से समाप्त हुये अनुच्छेद 370 को पुन: जीवित नहीं किया जा सकता। उसे जिस उद्देश्य से लाया गया था वह पूरा हो चुका है। अनुच्छेद 370 का पुन: स्थापित करना संविधान के अनुसार संविधान संशोधन की प्रक्रिया है, जिसे अब संसद भी लागू नहीं कर सकती। देश के गृहमंत्री अमित शाह ने सही कहा है कि आगे आने वाली कोई भी पीढ़ी इसे जीवन नहीं दे सकती। यह एक ऐतिहासिक घटना है। मोदी ने इसे पुन: वापिस लाने को असंभव कहा है।

जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा बहाल नहीं हो सकता। संविधान इसकी अनुमति नहीं देता। राज्य की असेम्बली में इस हेतु कोई प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। विधानसभा में इस हेतु प्रस्ताव पारित करना संसद और सुप्रीम कोर्ट के फैसले की अवज्ञा करना है अवहेलना और अपमान करना है। यह कृत्य न तो राज्य सूची का है और न समवर्ती सूची का है अत: जम्मू-कश्मीर विधानसभा को इस हेतु कोई कार्य करने का अधिकार ही नहीं है।

नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों व मंत्रियों ने जो कार्य किया है वह अमर्यादित है, अवैध है, निरंकुश है साथ ही उनका आचरण उस शपथ के विरूद्ध है जो उन्होंने जनता के समक्ष कार्यभार संभालने से पूर्व ली थी। सभी शपथ के भंग के अपराध के दोषी हैं। कांग्रेस के विधायकों ने उनका साथ दिया है अत: वे अवेटमेन्ट (Abatement) के कारण दोषी हैं।

जम्मू व कश्मीर की विधासभा में, विधानसभा की कार्यवाही के समय जो घटनायें हुईं, वे शर्मनाक तो थीं ही साथ अराजकता से कम नहीं थीं। अनुच्छेद 370 संसद के आदेश और सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के विरूद्ध थी। निर्णय के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय ने संसद के आर्डर को सही करार दिया था। विधानसभा का कर्त्तव्य है कि वह संविधान की राज्य सूची व समवर्ती सूची के अनुसार कानून बनाये और संविधान की पालना करते हुये राज्य का प्रशासन करे। विधानसभा में अनुच्छेद 370 को पुन: संविधान में स्थापित करने का प्रस्ताव लाकर पास कराने का कार्य विधानसभा का नहीं है। विधानसभा ने इस प्रकार अपनी शक्ति (अधिकार) का गलत प्रयोग किया है। विधानसभा में हंगामा हुआ, गाली-गलोच हुई, असभ्य व्यवहार किया गया। विधायकों को हाउस के बाहर घसीट कर बाहर निकालना वह भी बिना कारण बताओ नोटिस दिये तथा बिना सुनवाई किये, नैसर्गिक/प्राकृतिक न्याय के प्रथम सिद्धान्त के विरूद्ध था। विधायकों ने कानूनी तौर पर कई अपराध भी किये हैं जिनसे देश की सुरक्षा को खतरा है। जो लोग विधानसभा में हंगामा कर रहे हैं वे अलगावादियों व आतंकवादियों को सहयोग दे रहे हैं। ये ही लोग हैं जो हिन्दू मजदूरों की हत्या के दोषी हैं। ये ही हैं, जिनके इशारे पर आज कल आतंकवादी पुन: सक्रिय हो रहे हैं। इन सबका यही निष्कर्ष है कि जम्मू-कश्मीर राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है और ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जब राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता हो तो राष्ट्रपति अनुच्देद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू कर राज्य की शक्तियों को स्वयं अथवा प्रतिनिधि को दे सकते हैं। अनुच्छेद 356 की कार्यवाही का यह एक कानून सम्मत केस है। कानून की यह स्थिति है कि जब कोई राज्य संघ शासन के द्वारा अनुच्छेद 256, 257 आदि के द्वारा दिये गये निर्देशनों की पालना न करे तो राष्ट्रपति के लिये यह मानना विधि सम्मत होगा कि राज्य में ऐसी स्थिति पैदा हो गई है जब उसका शासन संविधान के प्रावधानों के अनुरूप नहीं चलाया जा रहा है, यह प्रमाणिक माना जायेगा।

भारतीय जनता पार्टी का कहना सही है कि विधानसभा में वे जम्मू-कश्मीर के विकास के हेतु काम करना चाहते हैं। जम्मू-कश्मीर राज्य उन्नति करे। युवाओं को काम मिले और टूरिज्म बढ़े, लोग खुशहाल हों। भारत के अन्य राज्यों से जम्मू-कश्मीर अधिक उन्नति करे। नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी, पीडीपी और इण्डिया गठबंधन केवल हंगामा करना चाहती हैं। वे पाकिस्तान के एजेण्डे पर काम कर रही हैं ऐसा राजनीतिक पार्टियों का आरोप है। यों भारत सरकार ने जम्मू-कश्मीर की जनता को विश्वास दिया था कि समय आने पर राज्य को पूरे राज्य का दर्जा दिया जायेगा। जनता को प्रतीक्षा करना है।

सबको सन्मति दे भगवान!

-अतिथि सम्पादक,
पानाचन्द जैन
पूर्व न्यायाधीश, राजस्थान हाई कोर्ट

नशा मुक्त था बिरसा मुंडा का आदर्श राज्य

15 नवम्बर, बिरसा मुंडा की जयंती पर (जनजाति गौरव दिवस) विशेष....

डॉ. दुलीचंद मीना

छोटा नागपुर बसाने वाले चुटियाहरम एवं नागु के वंशज सुगना मुण्डा एवं करमी के यहां बिरसा का जन्म 15 नवम्बर, 1875 को हुआ। बिरसा का बचपन चलकद में अपने माँ-बाप एवं अयुबहातु में अपने नाना के साथ गुजरा। कुछ दिनों के बाद बिरसा कुण्डी बरतोली में अपने भाई कोम्ता के पास चला गया जहाँ कोम्ता ने बिरसा को लुकास प्रचारक के साथ बुर्जु के जर्मन मिशन में भेज दिया जहां से बिरसा ने लोअर प्राईमरी परीक्षा पास की। बिरसा को सन् 1886 में चाईबासा मिशन में उच्च प्राथमिक शिक्षा के लिए भर्ती करा दिया गया। यहां बिरसा 1886 से 1890 तक रहा। यह उसके व्यक्तित्व का निर्माण काल था। मुण्डा आंदोलन की पृष्ठभूमि में भूमि-स्वामित्व-अपहरण संबंधी आक्रोश के साथ-साथ वनों के संरक्षण संबंधी सरकार के आदेश से जन-जातियों के उस परम्परागत अधिकारों को आघात था जिसके चलते वे वनों से लकड़ी काटकर नि:शुल्क ईंधन ले जाते थे तथा वहां अपने ढोरों, पशुओं को चराते थे तथा तब चाहे वह जंगल से खेती के लिए जमीन ले लिया करते थे। दूसरी बात 1896-97 व 1899-1900 के अकालों से उनके बीच सुलगती असन्तोष की आग विस्फोटक स्थिति में पहुंच गई। नई आबकारी नीति के कारण मुण्डाओं के बीच मद्यपान का रिवाज शुरू हुआ और मुण्डा-मजदूरों के चाय बागान तथा अन्य कारणों से बाहर जाने से उनके परम्परागत नैतिक मूल्यों और अधिकारिता पर चोट पहुंची।

इस समय सरदारों का भूमि आंदोलन चल रहा था। बिरसा आन्दोलन सरदार आन्दोलन से आगे का कदम था। सरदारों ने पहले ईसाई चर्च की स्थापना की, पर बाद में उन्होंने ईसाई धर्म छोड़ दिया। इस अर्थ में बिरसा उनसे कहीं आगे बढ़ गए। उन्होंने एक ऐसा धार्मिक आन्दोलन खड़ा कर दिया जिसकी अपनी एक संस्था थी, सिद्धान्त थे और साथ ही जिसके नियामक पहलू भी थे। अपना राज्य फिर वापिस कराने के लिए पुराने सरदारों ने प्रार्थना, विरोध व अर्जी देने का कानूनी और संवैधानिक तरीका अपनाया, जिसमें जमींदारों आदि से असहयोग करने जैसी बातें भी शामिल थी। जबकि बिरसा ने ऐसा रास्ता अपनाया जिसने अपने प्रारंभिक चरण में धार्मिक और बाद के चरणों में क्रान्तिकारी रूप ग्रहण कर लिया। सरदार मुख्य रूप से बिचौलियों और दिकुओं के खिलाफ थे, जबकि बिरसा सरकार के विरूद्ध विद्रोह का झण्डा उठाकर खडे हो गए थे। सरदार लोग अनैतिक थे, जबकि बिरसा ने एक कठोर नैतिक संहिता का ढाँचा खड़ा कर दिया था। सरदार-आन्दोलन में ऐसी भी एक स्थिति आई जब वे लोग ब्रिटिश शासन के अधीन स्वायत्त शासन स्वीकार करने को भी तैयार हो गए, दूसरी ओर बिरसा सम्पूर्ण स्वतंत्रता के पक्षधर थे, ऐसी स्वतंत्रता जो राजनीतिक भी हो और धार्मिक भी। वे एक बिरसा-राज्य और बिरसा-धर्म स्थापित करना चाहते थे।

धार्मिक दृष्टि से सन् 1894-95 में बिरसा का मसीहा के रूप में उदय हुआ। उसने स्वयं को धरती आबा (धरती का पिता) घोषित किया। अब आस-पास के क्षेत्रों में बिरसा का व्यक्तित्व रोगों को दूर करने वाले, उपदेशक के रूप में, चमत्कार दिखाने वाले और पैगम्बर के रूप में निकलकर सामने आया। बिरसा धर्म एक पुनरूत्थानात्मक धर्म था जिसके जरिये पुराने नैतिक मूल्यों को पुनर्स्थापित करने की कोशिश करते हुए मूल स्त्रोत से जोड़ने की चेष्टा की गई। बिरसा धर्म एक सुधारवादी आंदोलन के रूप मे शुरू हुआ जिसमें प्रार्थना, ईश्वर और पृथ्वी पर उनके संदेशवाहक के रूप में बिरसा के प्रति निष्ठा एक आचरण संहिता का पालन, माथे पर पवित्र चन्दन लगाना, यज्ञोपवित पहनना, सफाई से रहना, तुलसी के पौधे की पूजा करना आदि का संबंध अतीत से जोड़ा गया। भजनों को छोड़कर सभी प्रकार के नृत्य-गायन को प्रतिबंधित करते हुए उत्सव एवं समारोहों में भाग लेना भी वर्जित किया गया। साथ ही, फूलों, गहनों और तड़क-भड़क वाले वस्त्रों पर भी प्रतिबंध लगाया गया। महंगे समारोहों के स्थान पर मितव्ययतापूर्ण व कम खर्चीले समारोह शुरू किए गए। मद्यपान यहां तक कि पुराने जोहार समारोह के अवसर पर एक चुक्कड़ हँडिया पीने पर भी रोक लगा दी गई। मद्दिनषेध के संबंध में बिरसा के अनुयायियों में यह मुण्डा क्रान्ति गीत बहुत लोकप्रिय रहा-

बिरसा का आदेश है कि
हँड़िया और शराब न पियो,
इससे हमारी जमीन हमसे छिन जाती है।
अधिक मद्यपान और नींद ठीक नहीं।
दुश्मन इस कारण हम पर हँसते हैं,
भात से बनी हँड़िया महकती है।
शरीर और जीवन क्षीण करती है।
अधिक मद्य-सा नशे में सुध खो,
गलियों और नुक्कड़ों पर
होश-हवास और विवेक खो
तुम लकड़ी के बेजान कुन्दे-सा पड़े रहते हो।
तुम्हारा परिवार भूख से तड़पता है।
तुम्हारे बच्चे रो-रोकर जान देते हैं।

इस प्रकार बिरसा एक आदर्श राज्य यानि बिरसा राज और बिरसा धर्म की स्थापना करना चाहता था। बिरसा मुण्डा की शिक्षाएं नशाखोरी मे लिप्त युवावर्ग के लिए आज भी प्रेरणा के स्त्रोत हैं। जल, जंगल और जमीन की लड़ाई लड़ने वाले योद्धा धरती आबा भगवान बिरसा मुण्डा का जेल में 09 जून, सन् 1900 ई. को निधन हो गया।

-डॉ. दुलीचंद मीना,
आर. ए. एस.

ई-रिक्शा मालिक ही बनें चालक : सूदखोर माफियाओं पर कब लगेगी लगाम?

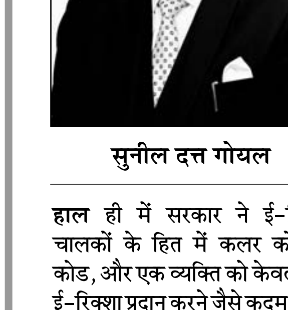

सुनील दत्त गोयल

हाल ही में सरकार ने ई-रिक्शा चालकों के हित में कलर कोडिंग, कोड, और एक व्यक्ति को केवल एक ई-रिक्शा प्रदान करने जैसे कदम उठाए हैं। ये उपाय स्वागत योग्य हैं, लेकिन इनसे समस्या का सम्पूर्ण समाधान नहीं हुआ है। ई-रिक्शा रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को और पारदर्शी और सुरक्षित बनाने के लिए, सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रत्येक ई-रिक्शा के रजिस्ट्रेशन में असली मालिक का ड्राइविंग लाइसेंस लिंक हो। इसका लाभ यह होगा कि ट्रैफिक पुलिस या अन्य संबंधित अधिकारी यह आसानी से जाँच कर सकेंगे कि जिस व्यक्ति के नाम पर ई-रिक्शा का रजिस्ट्रेशन हुआ है, वही व्यक्ति वास्तव में उसे चला रहा है या नहीं। इससे फर्जी मालिकाना हक और सूदखोर एवं माफियाओं द्वारा किराए पर चलाए जा रहे ई-रिक्शाओं पर प्रभावी नियंत्रण लगाया जा सकेगा, जो इस समय एक बडी समस्या बन चुकी है।

इसके अतिरिक्त, प्रत्येक ई-रिक्शा चालक के लिए यह अनिवार्य किया जाना चाहिए कि वह अपना पहचान पत्र गले में पहने। पहचान पत्र के माध्यम से उनकी पहचान सुनिश्चित की जा सकेगी, और यातायात व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ेगी। यह उपाय ट्रैफिक पुलिस और अन्य अधिकारियों को आवश्यक जानकारी आसानी से उपलब्ध कराने में सहायक होगा, जिससे किसी भी अनधिकृत व्यक्ति द्वारा ई-रिक्शा चलाने की घटनाओं पर अंकुश लगेगा। यह आवश्यक है कि सरकार यह सुनिश्चित करे कि जो लोग ई-रिक्शा का पंजीकरण करवाते हैं, वे स्वयं ही उसे चलाएँ। कई सूदखोर माफियाओं ने एक ही नाम और पते से दर्जनों ई-रिक्शा खरीद रखे हैं और इसे एक मुनाफे वाले व्यापार मॉडल में बदल दिया है। सरकार को इस समस्या का समाधान करने के लिए सक्रिय कदम उठाने की आवश्यकता है।

इसके लिए, जिला परिवहन अधिकारी (डीटीओ) को निर्देश दिया जाना चाहिए कि वे इस प्रकार के ई-रिक्शा के पंजीकरण की स्कैनिंग करें। यदि किसी एक व्यक्ति या पते पर असामान्य संख्या में ई-रिक्शा पंजीकृत पाए जाते हैं, तो उनका पंजीकरण रद्द किया जाना चाहिए। इस प्रकार के कदम उठाकर, न केवल सूदखोरी पर अंकुश लगाया जा सकेगा, बल्कि जरूरतमंद नागरिकों के लिए रोजगार के अवसर भी बढ़ाए जा सकेंगे। इस प्रथा के चलते, एक ही व्यक्ति कई ई-रिक्शा खरीदकर उन्हें किराए पर चला रहा है, जिससे गरीब और बेरोजगार लोग, जिनके पास ई-रिक्शा खरीदने के साधन नहीं हैं, मजबूरन प्रतिदिन 200 से 500 रुपये का किराया देकर इन्हें चलाते हैं।

इससे न केवल चालकों का आर्थिक शोषण हो रहा है, बल्कि ट्रैफिक और अन्य मुद्दे भी उत्पन्न हो रहे हैं। सरकार को चाहिए कि ई-रिक्शा पंजीकरण और संचालन के लिए सख्त नियम बनाए, जिससे वास्तविक जरूरतमंद लोगों को ही इस कार्य का लाभ मिल सके।

समस्याओं के समाधान हेतु सुझाव

1. सूदखोर माफियाओं पर रोक और कानूनी कार्यवाही

सरकार को ऐसे सूदखोर माफियाओं की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। इन लोगों को आर्थिक अपराधी घोषित कर उचित दंड दिए जाने चाहिए ताकि वे ई-रिक्शा चालकों का शोषण न कर सकें।

2. ई-रिक्शा चालकों के लिए सस्ते / कम ब्याज दर पर ऋण योजना

सरकार को ऐसे ई-रिक्शा चालकों की पहचान करनी चाहिए, जो केवल आजीविका के लिए इसे चला रहे हैं। इनके लिए बिना किसी प्रारंभिक भुगतान के और सस्ते / कम ब्याज दरों पर ऋण उपलब्ध कराया जा सकता है ताकि वे अपने ई-रिक्शा का स्वामित्व आसानी से प्राप्त कर सकें।

3. सामाजिक संगठनों की भागीदारी : सामाजिक संगठनों को भी इस दिशा में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। वे आर्थिक रूप से कमजोर चालकों की सहायता कर सकते हैं और उनके लिए फंडिंग या ई-रिक्शा स्वामित्व योजनाएँ संचालित कर सकते हैं। इससे माफियाओं पर निर्भरता कम होगी और चालक आर्थिक रूप से सशक्त होंगे।

4. चार्जिंग और पार्किंग सुविधाओं का विकास : ई-रिक्शा की बढ़ती संख्या को देखते हुए, सरकार को अधिक से अधिक चार्जिंग स्टेशन और पार्किंग स्थल विकसित करने चाहिए। ये सुविधाएँ आसानी से उपलब्ध होनी चाहिए, जिससे चालकों को अनावश्यक खर्च से बचाया जा सके।

इन सभी उपायों को लागू कर हम न केवल ई-रिक्शा चालकों की स्थिति में सुधार ला सकते हैं, बल्कि सूदखोर माफियाओं के नियंत्रण में भी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही, ये कदम एक स्वच्छ और सुरक्षित परिवहन व्यवस्था का निर्माण करने में भी सहायक सिद्ध होंगे।

धन्यवाद।

-सुनील दत्त गोयल,
महानिदेशक, इम्पीरियल चैंबर ऑफ़ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री,
जयपुर, राजस्थान

उत्तर कर्नाटक के गन्ने और मक्के के खेत तेंदुओं के लिए नए आश्रय स्थल

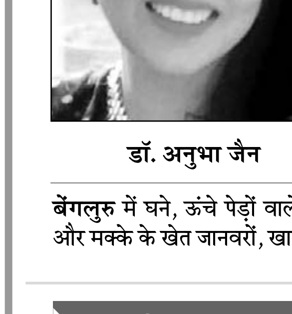

डॉ. अनुभा जैन

बेंगलुरु में घने, ऊंचे पेड़ों वाले गन्ने और मक्के के खेत जानवरों, खासकर बड़ी बिल्लियों यानि तेंदुओं के छिपने के लिए आदर्श आश्रय स्थल बने हुये हैं। इन खेतों में मवेशी जैसे भेड़, आवारा कुत्ते, जंगली सूअर आदि शिकार पर्याप्त मात्रा में पाए भी जाते हैं। इसके अलावा, ये खेत तेंदुओं के प्रजनन के लिए पानी और सुरक्षित जगह भी प्रदान करते हैं। 2023-24 के आंकड़ों के अनुसार, कर्नाटक में गन्ना उगाने वाला क्षेत्र 10 लाख हेक्टेयर हो गया जो 2019-20 में महज 7.65 लाख हेक्टेयर ही था और, पिछले चार वर्षों के दौरान मक्के का खेत भी 15 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 20.13 लाख हेक्टेयर हो गया है।

■ पिछले तीन वर्षों में, विजयपुरा जिले के गन्ने के खेतों में छह तेंदुए देखे गए हैं

हालांकि, इससे उत्तर कर्नाटक के इन क्षेत्रों में पशु-मानव मुठभेड़ें बढ़ गई हैं। आवास का नुकसान, खनन और घटते शिकार तेंदुओं जैसे इन जानवरों को नए क्षेत्रों में जाने के लिए मजबूर करने वाले प्रमुख कारक हैं। समय के साथ तेंदुओं की आबादी बढ़ती जा रही है और इसी क्रम में कोप्पल में 2022 से तेंदुओं की बढ़ती आबादी के कारण 57 पशुधन की मौत हो गई है। कर्नाटक वन विभाग के आंकड़ों से पता चलता है कि कलबुर्गी, बेलगावी, बीदर और बागलकोट जिलों में पशुधन की हत्या के साथ कुल 82 मानव-तेंदुए संघर्ष की घटनाएं हुई हैं। इसी तरह, बागलकोट के यादहल्ली चिंकारा वन्यजीव अभयारण्य में जहां पहली बार 2015 में तेंदुए देखे गए थे, और वर्तमान में यादहल्ली और उसके आसपास 3 वयस्क तेंदुए हैं।

वन अधिकारियों को संदेह है कि इन तेंदुए ने कृष्णा नदी बेसिन में गन्ने के खेतों का इस्तेमाल किया और यादहल्ली में चले गए। इसी तरह, पिछले तीन वर्षों में, विजयपुरा जिले के गन्ने के खेतों में छह तेंदुए देखे गए हैं, जहां पहले तेंदुए के देखे जाने का शायद ही कोई रिकॉर्ड हो। तेंदुए अन्य बस्तियों से आते हैं और गन्ने के सूखे खेतों में शरण लेते हैं यह परिदृश्य मादा तेंदुओं के प्रजनन के लिए उपयुक्त हो जाता है। गन्ने और मक्के के खेतों से तेंदुए के बच्चों को बचाना उत्तरी कर्नाटक में एक नियमित अभ्यास बन गया है।

-डॉ. अनुभा जैन, वरिष्ठ पत्रकार

राशिफल शुक्रवार 15 नवम्बर, 2024

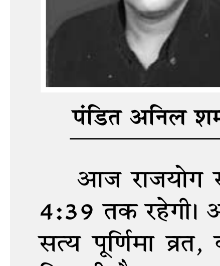

पंडित अनिल शर्मा

कार्तिक मास, शुक्ल पक्ष, पूर्णिमा, शुक्रवार, विक्रम संवत 2081, भरणी नक्षत्र रात्रि 2:59 तक, व्यतिपात योग प्रात: 7:30 तक, विष्टि करण सायं 4:39 तक, चन्द्रमा आज रात्रि 3:17 से वृष राशि में संचार करेगा।

ग्रह स्थिति: सूर्य-तुला, चन्द्रमा-मेष, मंगल-कर्क, बुध-वृश्चिक, गुरू-वृष, शुक्र-धनु, शनि-कुम्भ, राहु-मीन, केतु-कन्या राशि में।

आज राजयोग सूर्योदय से रात्रि 9:55 तक है। भद्रा सायं 4:39 तक रहेगी। आज शनि मार्गी सायं 7:50 पर होगा। आज सत्य पूर्णिमा व्रत, कार्तिक पूर्णिमा, गुरू नानक जयन्ती, देव दिवाली है। आज कार्तिक स्नान और भीष्म पंचक व्रत समाप्त होंगे। आज अष्टानिका महापर्व पूर्ण होगा। आज त्रिपुरारि पूर्णिमा, व्यतिपात पुण्यं है। पदमक योग रात्रि 9:55 से आरम्भ होगा। कार्तिक सप्तमी दर्शन रात्रि 9:55 से रात्रि 2:59 तक है।

सर्वश्रेष्ठ चौघड़िया: चर सूर्योदय से 8:11 तक, लाभ-अमृत 8:11 से 10:51 तक, शुभ 12:11 से 1:32 तक, चर 4:12 से सूर्यास्त तक।

राहूकाल: 10:30 से 12:00 तक। सूर्योदय 6:50, सूर्यास्त 5:32

मेष

मानसिक तनाव से राहत मिलेगी। अपने अति आवश्यक कार्यों को प्राथमिकता से करने का प्रयास करें। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। व्यावसायिक आय में वृद्धि होगी।

वृष
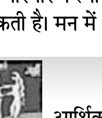
घर-गृहस्थी के खर्चों में अनावश्यक वृद्धि हो सकती है। पारिवारिक कार्यों के कारण भागदौड़ रहेगी। परिवार में स्वास्थ्य संबंधित परेशानी हो सकती है। मन में असंतोष बना रहेगा।

मिथुन
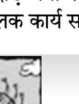
आर्थिक/वित्तीय मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आय में वृद्धि होगी। व्यावसायिक कार्यों के कारण भागदौड़ बनी रहेगी। परिवार में शुभ-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं।

कर्क
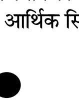
व्यावसायिक कार्यों में आ रही अड़चनें दूर होने लगेंगी। अटके हुए कार्य शीघ्रता/सुगमता से बनने लगेंगे। नवीन कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

सिंह

व्यावसायिक कार्यों में आ रही अड़चनें दूर होने लगेंगी। अटके हुए कार्य शीघ्रता/सुगमता से बनने लगेंगे। नवीन कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

कन्या

चन्द्रमा अष्टम भाव में शुभ नहीं है। शुभ कार्यों में व्यवधान सामने आ सकते हैं। आवश्यक कार्यों में विलम्ब हो सकता है। बनते कार्य बिगड़ सकते हैं। यात्रा में परेशानी हो सकती है।

तुला
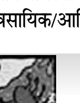
परिवार में शुभ-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा। सामूहिक प्रयासों से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

वृश्चिक

व्यावसायिक कार्यों के कारण बाहर जाना पड़ सकता है। नौकरीपेशा व्यक्तियों को अतिरिक्त जिम्मेदारी मिल सकती है। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। परिवार में मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं।

धनु

परिजनों के व्यवहार अच्छा नहीं रहेगा। महत्वपूर्ण और आवश्यक मामलों में दुविधा बनी रहेगी। स्वास्थ्य संबंधित मामलों में लापरवाही ठीक नहीं रहेगी।

मकर
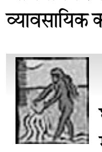
घर-परिवार में अतिथियों का आगमन रहेगा। परिवार में शुभ-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। आज समय रचनात्मक कार्यों में व्यतीत होगा। व्यावसायिक कार्यों के कारण भागदौड़ रहेगी।

कुंभ

घर-परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा। परिवार में धार्मिक-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। परिजनों के सहयोग से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

मीन
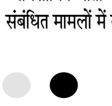
आर्थिक कारणों से अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। संभावित धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक प्रयासों में उचित सफलता मिलेगी। व्यावसायिक वार्ता के लिए दिन अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य संबंधित मामलों में लापरवाही ठीक नहीं रहेगी।